दस्ता. 555 परिशिष्ट

[25/2/2021]

प्रश्न सं. [क. 555]

अध्याय 12

गौण खनिजों से राजस्व का जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच संवितरण

[1][**56.आगम का जमा किया जाना**-(1) गौण खनिज की खदानों से सम्बन्धित अनिवार्य भाटक, स्वामित्व (रायल्टी) भूतल भाटक, ब्याज और अन्य कोई शास्तियों को सम्मिलित करते हुए, समस्त आगम नियम 10 के उपनियम (3) में विहित आगम प्राप्ति शीर्ष के अधीन जमा किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जमा स्वामित्व (रायल्टी) वित्त विभाग द्वारा, बजट प्रावधान के अधीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार वित्त विभाग द्वारा आवंटित रकम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण के अधीन रहेगी।

(3) (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आवंटित रकम का उपयोग पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सचिव ग्राम पंचायत के मानदेय के भुगतान तथा अधोसंरचना विकास में करेगा।

(ख) निगम, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र तथा नगर पंचायतों की सीमा के भीतर अवस्थित खदानों की नीलामी, अनुज्ञा तथा उत्खनिपट्टे से प्राप्त आगम, यथास्थिति, सम्बन्धित निकाय को, उनके कार्यों के लिए आवंटित किए जाएँगे।

(ग) पंचायतों/निगमों/नगर पालिकाओं/विशेष क्षेत्रों/नगर पंचायतों से प्राप्त आगम के ब्यौरे कलेक्टर द्वारा रखे जाएंगे।]

अध्याय 12

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

अध्याय - ग्यारह

रेत खनिज से प्राप्त राशि का अंतरण

21. **रेत खनिज से प्राप्त राशि.-** रेत समूह की निविदा प्रक्रिया एवं इन नियमों के अधीन प्राप्त संपूर्ण राशि निगम द्वारा संधारित खाते में जमा कराई जायेगी और तत्पश्चात प्रतिमाह वह निम्नानुसार अंतरित की जाएगी :-

(1) रूपये 75/- प्रति घनमीटर संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के लिए राज्य शासन को।

(2) रूपये 50/- प्रति घनमीटर कलक्टर को उपलब्ध कराए जाने वाले जिला खनिज प्रतिष्ठान की मद में राज्य शासन को।

(3) प्रथम वर्ष (वर्ष 2019-20) हेतु निविदा प्रीमियम से प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत निगम द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में एवं अपने स्वयं के व्यय/उपयोग हेतु रखा जायेगा। निविदा प्रीमियम से प्राप्त शेष राशि राज्य शासन में प्रत्येक माह अंतरित की जायेगी। निगम द्वारा रखी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का पुनर्निर्धारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निगम की आवश्यकता के आलोक में किया जा सकेगा।

(4) निजी भूमि पर प्रदान की जाने वाली अनुमति से प्राप्त रूपये 75/- प्रति घनमीटर की राशि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को भी आबंटित की जाएगी एवं इस मद के अधीन प्राप्त निविदा प्रीमियम सहित शेष राशि इस नियम के उप-नियम (3) के अनुसार अंतरित की जायेगी।

(5) यदि कोई ग्राम पंचायत या नगर पंचायत किसी एक वर्ष में रेत खनिज से रूपये 25 लाख से अधिक आय प्रदान करती है तो शेष राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान के मद में अंतरित की जायेगी। नगर पालिका अथवा नगर निगम के लिए आय की उपरोक्त सीमा लागू नहीं होगी।

(6) प्राप्त राशि में से कर/शुल्क आदि संबंधित मद में निगम द्वारा जमा कराये जायेंगे।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग